हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2020/00251	

16.12.2020 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत सीताराम पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी रैगर मोहल्ला वार्ड नम्बर 32 शहर सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर की ओर से श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थीगण के वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 13.01.2021 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

13-1-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-1-2021 को पेश हो।

रीडर

25-1-2021 वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रा०पत्र 136 L.R.Act. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा ... पत्रावली में शामिल किया गया। ... शुमार होकर नम्बर से कम ह... दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:34:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/2020	16.12.2020	25-1-2021

सीताराम पुत्र बालूराम जाति रैगर निवासी रैगर मोहल्ला
नंद किशोर पुत्र बालूराम वार्ड नम्बर 32 शहर सवाईमाधोपुर
महावीर प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल —प्रार्थीगण

बनाम

सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 बालूराम पुत्र रूपा रैगर निवासी ग्राम उमरी तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी भूमि हाल ख0न0 1002 रकबा 65 एयर, 1009 रकबा 1.15 है0 ग्राम उमरी में स्थित रही है। प्रार्थीगण के पिता बालूराम उर्फ बाबूराम का देहान्त हो चुका है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने तहसील गंगापुर सिटी मे प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण खोलने का निवेदन किया तो उन्होने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बाबूराम अशुद्ध है, इसे पहले कोर्ट से सही करवाओ तब ही नामान्तरकरण खुल पावेगा। तब प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पिता का नाम बालूराम के स्थान पर बाबूराम होने की जानकारी प्राप्त हुई। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम बालूराम उर्फ बाबूराम पुत्र रूपा है तथा उनके अन्य सरकारी व गैरसरकारी रिकार्ड मे भी उनका नाम बालूराम है। अतः हाल जमाबंदी के ख0न0 1002 रकबा 65 एयर, 1009 रकबा 1.15 है0 स्थित ग्राम उमरी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बालूराम पुत्र रूपा शुद्ध किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2053 से 2056 ग्राम उमरी ख0न0 1002, 1009 की प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं अप्रार्थी से रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:34:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त भूमि दिनांक 6.12.1977 को जरिए विक्रय पत्र मंगला पुत्र श्योवक्स जाति रैगर से बालूराम पुत्र रूपा रैगर द्वारा क्रय की गई है। जिसका अमल बरवक्त बन्दोवस्त किया गया। बन्दोवस्त विभाग से प्राप्त बन्दोवस्त खतौनी में

बालूराम पुत्र रूपा रैगर के स्थान पर बाबूराम पुत्र रूपा रैगर दर्ज किया गया। प्रार्थी सीताराम द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की छायाप्रति विक्रय पत्र, राशनकार्ड, पहचानपत्र, मृत्युप्रमाण पत्र मे बालूराम पुत्र रूपा रैगर अंकित है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम बालूराम है लेकिन वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम बाबूराम दर्ज हो रहा है। इसकी दुरूस्ती फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के साथ विक्रयपत्र के अनुसार प्रार्थीगण के पिता बालूराम पुत्र रूपा ने भूमि खरीद की है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम बालूराम है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में बाबूराम पुत्र रूपा के स्थान पर बालूराम पुत्र रूपा दुरूस्त किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम उमरी की जमाबंदी सं0 2073 से [illegible] के खाता संख्या 201 में दर्ज प्रविष्टि "बाबूराम पुत्र रूपा हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 सवाईमाधोपुर खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि "बालूराम पुत्र रूपा हिस्सा पूर्ण जाति रैगर सा0 सवाईमाधोपुर खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:34:17 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)